रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-469/2020/2205/22-2-2019-17(43)/2006
लखनऊ: दिनांक: 28 अक्टूबर, 2020
आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बल्लू (बन्दी संख्या-6958) पुत्र श्री हुसैन तकी, निवासी ग्राम-सांखनी**, **थाना-जहांगीराबार, जनपद-बुलन्दशहर,** जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-245/1989 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 332, 307, 302 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 10.08.1992 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.1994 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.1995 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बन्दी की अत्यधिक वृद्धावस्था (आयु 84 वर्ष) तथा बन्दी द्वारा दिनांक 21.01.2019 तक 27 वर्ष 07 माह 19 दिन की अपरिहार तथा 35 वर्ष 08 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगे जाने एवं संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से **मुक्त कर** दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-469/2020/2205(1)/22-2-2020 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2-जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
3-पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।